

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मित्र कॉल सेंटर- 920 800 8000

5 पंचशील पार्क, चकराता रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, ceocampa-forest-uk@nic.in

www.www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 349/3-2/16-17

दिनांक, 14 सितम्बर, 2016

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड

विषय :- वर्षा जल संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेन्च/नाली के निर्माण के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत अवशेष धनराशि का आवंटन।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 252/3-2/2016-17 दिनांक 27 जुलाई, 2016 तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक-पी0ओ0/1127, दिनांक 04-06-2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि वर्षा जल संग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेन्च/नाली निर्माण हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा से प्राप्त संस्तुति के क्रम में इस कार्यालय द्वारा आपको 50% की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक 307/3-2/2016-17 दिनांक 23 अगस्त, 2016 के माध्यम से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में जिन वन प्रभागों से कन्टूर ट्रेन्च/नाली निर्माण की फोटोग्राफ सहित प्रगति सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हो गई हैं, उन्हें स्वीकृत लक्ष्यों की अवशेष 50% धनराशि अवमुक्त करते हुए, नई बैंकिंग प्रणाली के तहत निम्नानुसार आहरण सीमा निर्धारित की जा रही है।

| क्रम संख्या | प्रभाग का नाम | ट्रेन्चों के निर्माण हेतु भौतिक लक्ष्य क्षेत्रफल (हे० में) | कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹) | पूर्व में अवमुक्त धनराशि (लाख ₹) | वर्तमान में अवमुक्त धनराशि (लाख ₹) |
|-------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | टौंस वन प्रभाग, पुरोला | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 2 | गोविन्द वन्यजीव विहार* | 100 | 9.00 | 4.50 | |
| 3 | अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट* | 250 | 22.50 | 11.25 | |
| 4 | चकराता वन प्रभाग | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 5 | मसूरी वन प्रभाग | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 6 | भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 7 | उत्तरकाशी वन प्रभाग | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 8 | भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी* | 200 | 18.00 | 9.00 | |
| 9 | टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग* | 200 | 18.00 | 9.00 | |
| 10 | टिहरी डैम प्रथम वन प्रभाग* | 200 | 18.00 | 9.00 | |
| 11 | नरेन्द्रनगर वन प्रभाग | 300 | 27.00 | 13.50 | 13.50 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | टिहरी वन प्रभाग | 300 | 27.00 | 13.50 | 13.50 |
| 13 | गढ़वाल वन प्रभाग* | 250 | 22.50 | 11.25 | |
| 14 | सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी* | 300 | 27.00 | 13.50 | |
| 15 | रुद्रप्रयाग वन प्रभाग | 350 | 31.50 | 15.75 | 15.75 |
| 16 | बद्रीनाथ वन प्रभाग* | 250 | 22.50 | 11.25 | |
| 17 | केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग* | 200 | 18.00 | 9.00 | |
| 18 | अलकनन्दा भू० सं० वन प्रभाग | 200 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
| 19 | नन्दादेवी रा० पार्क* | 50 | 4.50 | 2.25 | |
| 20 | देहरादून वन प्रभाग* | 100 | 9.00 | 4.50 | |
| 21 | लैन्सडौन वन प्रभाग | 200 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
| 22 | भू० सं० वन प्रभाग, लैन्सडौन | 200 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
| 23 | चम्पावत वन प्रभाग* | 200 | 18.00 | 9.00 | |
| 24 | पिथौरागढ़ वन प्रभाग | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 25 | बागेश्वर वन प्रभाग* | 300 | 27.00 | 13.50 | |
| 26 | अल्मोड़ा वन प्रभाग* | 300 | 27.00 | 13.50 | |
| 27 | सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग* | 300 | 27.00 | 13.50 | |
| 28 | भू० सं० वन प्रभाग, रानीखेत | 300 | 27.00 | 13.50 | 13.50 |
| 29 | अति० भू० सं० वन प्रभाग, रामनगर | 250 | 22.50 | 11.25 | 11.25 |
| 30 | नैनीताल वन प्रभाग* | 150 | 13.50 | 6.75 | |
| 31 | भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल* | 100 | 9.00 | 4.50 | |
| | कुल योग | 7050 हे० | 634.50 | 317.25 | 162.00 |

*उपरोक्त तालिका में तारांकित प्रभागों से अभिप्राय उन प्रभागों से है जिनके द्वारा अभी तक कन्टूर ट्रेन्च / नाली निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष फोटोग्राफ, जी०पी०एस० रीडिंग सहित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन प्रभागों से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त इन्हें अवशेष धनराशि की आहरण सीमा निर्गत किया जाना संभव होगा।

तारांकित प्रभागों के अतिरिक्त शेष वन प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि की आहरण सीमा निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जा रही है:-

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
3. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
4. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।

5. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए।
6. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
7. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आवेदों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
11. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी कैम्पा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्यक्ष में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
12. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
14. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
15. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
16. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासंभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
17. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
18. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय,

14/9/16

(समीर सिन्हा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक: 349 /3-2/2016-17 विनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, शिवालिक एवं कुमाऊं जोन।
6. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।

14/9/16

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा